प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 20.01.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.11.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर थाना गढाकोटा जिला सागर म0प्र0 से जीरो एफआईआर सं0-001/2025 धारा 332(बी),70(2),351(3) बीएनएस, 5(g)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त हुई जिसमें आरोपित किया गया कि अभियुक्तगण 1.उत्तम बसोर 2.प्रद्युम्न बसोर निवासीगण ग्राम बिछिया थाना गढाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश द्वारा नाबालिग पीडिता उम्र करीब 14 वर्ष के साथ झुग्गी में घुसकर बारी-बारी से गलत काम करना व जान से मारने की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 19.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त प्रद्युम्न बसोर पुत्र दयाराम बसोर उर्फ हल्ले हाल पता C-2631 सुशान्त लोक सैक्टर-43 गुरूग्राम हरियाणा स्थायी पता ग्राम चुहरा पोस्ट सावलखिरिया थाना रेहली जिला सागर मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने दोस्त उत्तम के साथ ट्रोनिका सिटी स्थित झुग्गी के रास्ते से होकर रोजाना काम पर जाता था। पीडिता के माता-पिता भी हमारे साथ काम करते थे जिस कारण मेरा व मेरे दोस्त उत्तम का पीडिता की झुग्गी में आना जाना हो गया था। दिनांक 16/09/2025 को सुबह के समय जब पीडिता के माता पिता काम पर गये थे तो मैं व मेरा दोस्त उत्तम पीडिता को बहला फुसलाकर उसकी झुग्गी में घुस गये और मौका पाकर उसके साथ गलत काम किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रद्युम्न बसोर पुत्र दयाराम बसोर उर्फ हल्ले हाल पता C-2631 सुशान्त लोक सैक्टर-43 गुरूग्राम हरियाणा स्थायी पता ग्राम चुहरा पोस्ट सावलखिरिया थाना रेहली जिला सागर मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष।

वाँछित अभियुक्त का नाम व पता-

उत्तम बसोर निवासी ग्राम बिछिया थाना गढाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त प्रद्युम्न बसोर पर उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 16500/- रुपये धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 20.01.2026 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक आकाश कुमार गोयल नि0 पंचशील थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 16500 /- रुपये धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक आकाश कुमार गोयल के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 20.01.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 16500/- रुपये धनराशि साइबर सेल टीम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 एलईडी व 01 एलपीजी गैस सिलेन्डर बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01.12.2025 को थाना खोडा पर वादी नरेश पुत्र चेतराम ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 30.11.2025 की रात्रि में मेरे घर में अज्ञात चोरों द्वारा गैस सिलेन्डर, एलईडी टीवी, पैसे व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना खोडा पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.01.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. अनुज कुमार पुत्र श्रीकान्त निवासी केशवपुर थाना कुंडा जिला प्रतापगढ उ0प्र0 हालपता गली न0 05 अल्लाह कॉलोनी मस्जिद के पास मण्डावली थाना मधुबिहार दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष व 2. शाकिब पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम कनखेडी थाना धामपुर जिला बिजनौर हालपता अल्लाह कॉलोनी मस्जिद के पास मण्डावली थाना मधुबिहार दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष को इन्दिरापुरम अन्डरपास से चोरी की 01 एलईडी व 01 एलपीजी गैस सिलेन्डर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा में 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि बरामद एलईडी व एलपीजी गैस सिलेन्डर को करीब डेढ़ महीने पहले आदर्श नगर खोडा कॉलोनी के एक घर में से चोरी किया था। दोनों अभियुक्त उपरोक्त चोरी किये हुए सामान को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. अनुज कुमार पुत्र श्रीकान्त निवासी केशवपुर थाना कुंडा जिला प्रतापगढ उ0प्र0 हालपता गली न0 05 अल्लाह कॉलोनी मस्जिद के पास मण्डावली थाना मधुबिहार दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष।
2. शाकिब पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम कनखेडी थाना धामपुर जिला बिजनौर हालपता अल्लाह कॉलोनी मस्जिद के पास मण्डावली थाना मधुबिहार दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 एलईडी व 01 एलपीजी गैस सिलेन्डर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र श्रीकान्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त शाकिब पुत्र खुर्शीद उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अपने पति की जीभ काटने सम्बन्धित अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 20.01.2026 को थाना मोदीनगर पर वादिया श्रीमती गीता पत्नी रामौतार निवासी संजयपुरी गली न0- 1 बेगमाबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी पुत्रवधु श्रीमती ईशा पत्नी विपिन कुमार के द्वारा गाली गलौच कर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व वादिया के पुत्र विपिन कुमार की जीभ काट देने के सम्बन्ध में। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 115(2)/352/351(3)/118(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.01.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता ईशा पत्नी विपिन कुमार निवासी संजयपुरी गली न0- 1 बेगमाबाद मोदीनगर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनो का आपस मे खाने को लेकर लडाई झगडा हो रहा था जिसके दौरान आवेश मे आकर मैने पति की जीभ काट ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ईशा पत्नी विपिन कुमार निवासी संजयपुरी गली न0- 1 बेगमाबाद मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।